IN THE COURT OF Distt. & Addl. Sessions Judge-II, ROSERA

S.T.- 200/2024

C.I.S. No.-55/2024

Date of Order	Orders with initials of the Court.	Remark
27.01.2025	सभी 03 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की ओर से हाजिरी एवं शेष 02 काराधीन अभियुक्त में से एक अभियुक्त समीर भारती उर्फ पप्पु सिंह को कारा से प्रस्तुत किया गया, किन्तु एक अन्य काराधीन अभियुक्त ललन सिंह उर्फ लुलवा को कारा से प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष की ओर से धारा– 173(8) द0प्र0सं0 के अंतर्गत दिनांक– 28.05.2024 को एक आवेदन दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान मुकदमा में तीनों आरोपित अभियुक्त राजनीति षडयंत्र से आरोपित किए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि वर्तमान वाद के अभियुक्त रानी देवी अपने घर पर थी, अभियुक्त ललन सिंह अंचल कार्यालय, विभूतिपुर में थे, तथा अभियुक्त समीर भारती उर्फ पप्पु सिंह ग्राम सलखन्नी श्याम किशोर कमल के चिमनी पर थे, घटना के समय घटनास्थल से सभी मुदालह क्रमशः ½ कि0मी0, 04 कि0मी0 एवं 05 कि0मी0 की दूरी पर थे। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, विभूतिपुर से घटित घ ाटना तिथि का सी0सी0टी0वी0 का हार्ड डिस्क अभिप्रमाणित देने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदित किया गया है जो अभी अप्राप्त है। तीनों बचाव पक्ष के जिम्मे मोबाईल नम्बर 9931534814, 9955246061, 8969876061 का कॉल डिटेल्स, टावर लोकेशन की भी मांग जिला पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर से सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है जो अप्राप्त है। कथित घटनास्थल पर उक्त तीनों आरोपी उपस्थित नहीं थे। अनुसंधानकर्ता ने दबाव एवं मेल में आरोप पत्र दाखिल किया है। विभूतिपुर थाना काण्ड संख्या 62/2000 जिसके सूचक ललन सिंह थे, जिसने दो व्यक्ति राम बालक सिंह एवं लालबाबू सिंह को आरोपित किया था। बाद में पता चला कि एक आरोपित धर्मपाल सिंह भी हैं। तब प्राथमिकी में धर्मपाल सिंह का नाम सूचक के दर्ज कराने के बाद जोड़ा गया जिसमें धर्मपाल के विषय में प्राथमिकी में अभिलेखित किया गया है कि घटना में धर्मपाल का भी हाथ है। अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी संख्या 62/2000 के राम बालक सिंह एवं लालबाबू सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है तथा धर्मपाल के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। सत्र वाद में ललन सिंह ने धर्मपाल के विरुद्ध माननीय सत्र न्यायालय, रोसड़ा में साक्ष्य नहीं दिया तो धर्मपाल रिहा हो गया तथा उसी विचारण में राम बालक सिंह एवं लालबाबू सिंह के विरुद्ध ललन सिंह एवं अन्य चक्षूदर्शी साक्षियों ने साक्ष्य दिया जिस कारण धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अलग से सत्र विचारण संस्थित होकर राम बालक सिंह एवं लालबाबू सिंह के विरुद्ध चला। राम बालक सिंह एवं लालबाबू सिंह दोनों माननीय सत्र न्यायालय, समस्तीपुर से दंडित हुए। थाना विभूतिपुर प्राथमिकी संख्या 69/2023 में राम बालक सिंह एवं लालबाबू सिंह दोनों काराग्रस्त थे। सारा षड्यंत्र कारा से ही किया गया और तीनों के विरुद्ध आरोपित किया गया। विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी निवेदन करते हैं कि 62/2000 के	लगातार.....

IN THE COURT OF Distt. & Addl. Sessions Judge-II, ROSERA
S.T.- 200/2024
C.I.S. No.-55/2024

लगातार 27.01.2025	प्राथमिकी के पश्चात् दबाव डालने के नियत से कई झूठे मुकदमें 7/2009, 71/2011, 53/2012, 149/2013, 135/2008, 2/2005, 279/2008, 141/1998, 34/2003, 27/2009, 285/2021 दर्ज हुए। मुकदमा संख्या 62/2000 से पूर्व एक मुकदमा और भी वाद था जो राजनिती से प्रेरित था। इसका समग्र रुप से सारे मुकदमें राजनिती से प्रेरित एवं दबाव से हुआ जिसमें पुलिस ने अंतिम प्रपत्र दाखिल किया एवं कुछ में आरोप पत्र दाखिल किया। सभी में संधि हो गयी। माननीय न्यायालय से मुकदमा संख्या 61/2000 में ललन सिंह रिहा हुआ और कुछ लंबित है। ललन सिंह को फंसाने के लिए बहुत पूर्व से ही बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा था। प्रस्तुत मुकदमा में भी षडयंत्र में भी तीनों आरोपित बनाए गए हैं जबकि दूर–दूर तक आरोपित का कहीं भी इस घटना से सरोकार नहीं है। अनुसंधानकर्ता ने सही–सही अनुसंधान नहीं किया तथा गलत तथ्यों के उपर आरोप पत्र दाखिल किया। जिस कारण आवेदन में वर्णित सभी दर्शित मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मुकदमा में आरोपित को अनुसंधान में विशेष जांच की आवश्यकता है। अंत में विद्वान अधिवक्ता किसी वरीय पुलिस अधिकारी से विस्तृत व समुचित जांच हेतु आदेश देने की प्रार्थना करते हैं। इसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक सफाई पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन का विरोध प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत मामले में औपचारिक प्राथमिकी, संज्ञान आदेश एवं वाद दैनिकी को पूर्ण रुप से विश्लेषण करते हुए अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने की प्रार्थना करते हैं तथा उनकी ओर से दाखिल किये गए आवेदन को खारिज किये जाने की प्रार्थना करते हैं। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक के विरुद्ध सूचक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिसमें सूचक के द्वारा यह आरोपित अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 342, 302, 120बी, 34 भा0द0वि0 तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसमें सूचक अर्जुन सिंह के द्वारा यह आरोपित किया गया कि सूचक की पुत्री कोमल कुमारी को अभियुक्तगण अंधाधूंध गोली मारकर हत्या कर दिया है। इस क्रम में अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिकी के पश्चात अनुसंधान कार्य पूर्ण किया एवं रानी देवी, ललन सिंह उर्फ लुलवा एवं समीर भारती उर्फ पप्पू सिंह के विरुद्ध धारा 341, 342, 302, 120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र संख्या 543/2023 दिनांक 31.12.2023 समर्पित किया गया। इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2024 को धारा 341, 342, 302, 120बी/34 भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तत्पश्चात् अभिलेख को सत्र विचारण हेतु इस न्यायालय को दौरा सूपूर्दगी के पश्चात् प्राप्त हुआ। इस क्रम में अभियुक्तगण की ओर से उक्त आवेदन दाखिल किया गया है। इसके पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से औपचारिक प्राथमिकी, वाद दैनिकी, आरोप पत्र में अभियुक्तगण के	**लगातार.....**

IN THE COURT OF Distt. & Addl. Sessions Judge-II, ROSERA

S.T.- 200/2024

C.I.S. No.-55/2024

लगातार **27.01.2025**	विरुद्ध आरोपित किये गए धारा के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक सफाई पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि सी0सी0टी0वी0 फूटेज एवं मोबाईल टावर लोकेश के लिए अंचलाधिकारी एवं जिलाधिकारी से अभिप्रमाणित प्रति सूचना अधिकार के तहत की गयी है जो अभी तक अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के द्वारा अपने आवेदन में जो भी तथ्यों का उल्लेख किया गया है उसमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है और वांछित अभियुक्त का वाद दौरा सूपूर्दगी के पश्चात् विचारण हेतु इस न्यायालय को सूपूर्द किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किये गए आवेदन वाद के वर्तमान परिस्थिति में पोषणीय नहीं है, अतः उनकी ओर से दाखिल किये गए आवेदन को खारिज किया जाता है। अभिलेख को आरोप गठन हेतु निश्चित किया जाता है और अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि अगले नियत तिथि पर सदेह उपस्थित रहें। कराधीन अभियुक्त को पुनः कारा में भेजा गया। का0 लि0 कराधीन अभियुक्त ललन सिंह उर्फ लुलवा उपसथिति हेतु P/W निर्गत करे। दिनांक– 10.02.2025 वास्ते आरोप गठन व उपस्थापन। लेखापित अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय	

IN THE COURT OF Distt. & Addl. Sessions Judge-II, ROSERA

S.T.- 200/2024

C.I.S. No.-55/2024